* समावेशी शिक्षा का सिद्धान्त :- समावेशी शिक्षा के निम्न सिद्धान्त है -

* व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धान्त - व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है (i) दो व्यक्तियों मे आपसी भिन्नता (ii) व्यक्ति की स्वयं भिन्नता। दूसरे शब्दो मे, कुछ बालक अन्य बालको से गुणो मे सर्वथा भिन्न होते हैं जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते है। ऐसे बालको को विस्तारपूर्वक पढाया जाता है तथा वैसे बालक जो पढाई मे रुचि नही लेते उन्हे शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धान्त है।

* अविभेदी शिक्षा - समावेशी शिक्षा समाज के किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष के लिए नही है, इसकी नीतियो एवं कार्यक्रमो को इस प्रकार लचीला बनाया जाना चाहिए कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे। भेदभाव रहित शिक्षा हेतु आवश्यक है कि बालको की पहचान कि जाय तथा उन्हे वर्गीकृत कर उपयुक्त शिक्षण विधि से शिक्षित किया जाय। समय-समय पर बालको की कठिनाइयो, समस्याओ तथा उनकी प्रगति का परीक्षण भी किया जाना चाहिए।

* कोई भी निरस्त नही - समावेशी शिक्षा के तहत शारीरिक रूप से असक्षम बालको को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हे यह शिक्षा सामान्य बालको के साथ सामान्य शिक्षण

संस्थाओं में दी जानी चाहिए। सामान्य शिक्षण संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार और अस्वीकार करने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए।

* वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धान्त - जिन छात्रों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम विशिष्ट कक्षाओं में या उनसे सम्बन्धित संसाधन युक्त कक्षों में दी जानी चाहिए। उनकी शिक्षा छात्रों की वर्तमान कार्य प्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।

* नियन्त्रित वातावरण :- जहाँ तक सम्भव हो शारीरिक रूप से वंचित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा में साथ-साथ होनी चाहिए। सामान्य कक्ष वंचित छात्रों को न्यूनतम विघ्न उत्पन्न करने वाला वातावरण प्रदान करता है।

* अभिभावकों के सहयोग का सिद्धान्त :- समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है जिसमें अभिभावक अध्यापक तथा समाज का समर्थन व योगदान आवश्यक है। जिससे शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

* समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र :-

- * अस्थिबाधित बालक
- * श्रवणबाधित बालक
- * दृष्टि बाधित बालक
- * मानसिक मंदित बालक
- * बिहुबाधित (बहुबाधित) बालक
- * अधिगम असमर्थी बालक
- * अन्धे बालक जो ब्रेल से पढ़ने लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया हो।
- * बधिर बालक जो सम्प्रेषण में निपुणता प्राप्त कर लिया हो।